न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 79 / 2022

अपीलार्थी –	*बनाम*	उत्तरदाता –
1. पुरखाराम पुत्र कानाराम 2. विरधाराम पुत्र हुकमाराम 3. हिमताराम पुत्र टीकुराम 4. ठाकराराम पुत्र हिमताराम निवासीयान लाले की बेरी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.02.2021 जो विभागीय प्रकरण सं. 05 / 2020 में जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 11.06.2024

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 05 / 2020 सरकार बनाम व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति बाण्ड, उचित मूल्य दुकान बाण्ड तहसील गुडामालानी में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थीगण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटित हुई जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा बाण्ड ग्राम वासियों को [उचित] मूल्य दुकान के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही थीं [illegible] के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सा[मग्री] वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 15[illegible]2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर पॉश मशीन एवं वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्टॉक में भिन्नता होना, स्टॉक मूल्य सूची प्रदर्शन बोर्ड पर अद्यतन नहीं होना, जांच हेतु स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाना, एवं पखवाड़े में केवल तीन दिन ही राशन वितरण करना पाया गया। इस प्रकार उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री वितरण में अनियमितता एवं कम वितरण करना जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, व 11 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थीगण का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2021 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 18.10.2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलार्थीगण की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण के नाम ग्राम बाण्ड हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों की शिकायत पर तथ्यहीन एवं निराधार आरोपों तथा मौखिक बयानों पर बिना कोई तथ्यात्मक जांच किये निरस्त कर दिया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। राजनैतिक द्वेषवश कुछ विरोधियों द्वारा झूठी मनगढत शिकायत करने पर उत्तरदाता ने अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को रिपोर्ट की गई जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना मौके पर आये एवं तथ्यात्मक जांच किये झूठी अनियमितताएं दर्शाकर उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो एक कानूनी भूल है और इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रभावी नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने यह भी प्रकट किया कि पूर्व में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील सर्वसहमति से अपना सम्पूर्ण हित सौंपकर अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति बाण्ड द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जिस पर वर्तमान में समिति के चुनाव होने से अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति बाण्ड ने अपना व्यक्तिगत हित साधते हुए राजनैतिक प्रभाव का अनुचित लाभ लेते हुए समिति की अपील दिनांक 28.09.2022 को विड्रॉ कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गई। उक्त अपील विड्रॉ करने से पूर्व समिति अध्यक्ष द्वारा न तो सदस्यों की सहमति ली गई, न ही समिति की आमसभा की मीटिंग बुलाई गई, न ही सहकारी समिति के रजिस्टर में प्रविष्टि की गई एवं न ही संस्था के सदस्यों को इस संबंध में कोई सूचना दी गई। गुणावगुण पर निर्णय किये बिना ही एकतरफा रूप से राजनैतिक दबाव के चलते उक्त अपील विड्रॉ किये जाने की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 05.02.2021 प्रकरण संख्या 05/2020 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अपीलार्थीगण की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करवाते हुए अपीलार्थीगण द्वारा जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश भी निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि उत्तरदाता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 05.02.2021 के विरूद्ध अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति बाण्ड की अपील अपीलार्थीगण की जानकारी के अभाव में विड्रो किये जाने की जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश की प्रति दिनांक 13.10.2022 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार कर मैरिट पर सुनवाई किये जाने निवेदन किया है।

6. उत्तरदाता की ओर से पैरोकार द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान से पॉश मशीन एवं वास्तविक स्टॉक में भिन्नता होना, स्टॉक मूल्य सूची प्रदर्शन बोर्ड पर अद्यतन नहीं होना, जांच हेतु स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाना, एवं पखवाड़े में केवल तीन दिन ही राशन वितरण करने जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8 व 11 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थीगण का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2021 पारित किया गया है, जो सही एवं उचित है। विभागीय पैरोकार द्वारा व्यवस्थापक बाड़मेर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि0 बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्[illegible]–पत्र दिनांक 23.01.2023 में की गई जांच रिपोर्ट पत्र क्र[illegible] प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद [illegible] होने के साथ–साथ प्रकट तथ्य युक्तियुक्त एवं मानने योग्य नहीं हैं। लिहाजा अ[illegible]लांट की अपील मयाद एवं मैरिट पर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटित हुई जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा बाण्ड ग्राम वासियों को उक्त उचित मूल्य दुकान के माध्यम से सेवाऐं प्रदान की जा रही थीं। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 15.01.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर पॉश मशीन एवं वास्तविक स्टॉक में भिन्नता होना, स्टॉक मूल्य सूची प्रदर्शन बोर्ड पर अद्यतन नहीं होना, जांच हेतु स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाना, एवं पखवाड़े में केवल तीन दिन ही राशन वितरण करना पाया गया। इस प्रकार उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री वितरण में अनियमितता एवं कम वितरण करना जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, व 11 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थीगण का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2021 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही विभागीय पैरोकार द्वारा व्यवस्थापक बाड़मेर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि0 बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.01.2023 में की गई जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 21 दिनांक 02.05.2024 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम व उपनियम अनुसार ग्राम सेवा समिति के नीतिगत निणर्यों अथवा वैधानिक दायित्वों हेतु समिति के संचालक मण्डल अथवा साधारण आमसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही समिति के मुख्य कार्यकारी/व्यवस्थापक व अध्यक्ष द्वारा ही समिति के संबंधित मामलों में अपील की जा सकती है। जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत अपील विधिसम्मत रूप से विड्रॉ किये जाने का तर्क है, मुख्य व्यवस्थापक बाड़मेर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि0 बाड़मेर का कथन है कि उक्त अपील नियमानुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में अपीलार्थी का यह कहना कि समिति अध्यक्ष द्वारा न तो सदस्यों की सहमति ली गई, न ही समिति की आमसभा [illegible] बुलाई गई, न ही सहकारी समिति के रजिस्टर में प्रवि[illegible] सदस्यों को इस संबंध में कोई सूचना दी गई तथा गुणावगुण पर निर्णय किये बिना ही एकतरफा रूप से राजनैतिक दबाव के चलते उक्त अपील विड्रॉ कर ली है, कतई मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 18.10.2022 को प्रस्तुत की है तथा मयाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संबंध में प्रकट तथ्य युक्तियुक्त एवं मानने योग्य नहीं हैं। लिहाजा अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 05/2020 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:05:30 IST
Reason: SelfAttested